उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-08/2016/134/41-2016-55 यो0/10

लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2016

शासनादेश संख्या-04/2016/63/41-2016-55 यो0/10, दिनांक 15 जनवरी, 2016

<u>का शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में कम्पिल के पर्यटन विकास हेतु अवशेष धनराशि रू0 439.96 लाख का 40 प्रतिशत धनराशि रू0 193.39 लाख (रू0 एक करोड तिरान्नवे लाख उन्तालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-04/2016/63/41-2016-55 यो0/10, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 की 7वीं एवं 8वीं पंक्ति में त्रुटिवश अवशेष धनराशि रू0 439.96 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 193.39 लाख के स्थान पर अवशेष धनराशि रू0 439.96 लाख का 40 प्रतिशत धनराशि रू0 193.39 लाख अंकित हो गया है। अतः प्रश्नगत योजना की सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर-3 की 7वीं एवं 8वीं पंक्ति में अवशेष धनराशि रू0 439.96 लाख का 40 प्रतिशत धनराशि रू0 193.39 लाख के स्थान पर अवशेष धनराशि रू0 439.96 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 193.39 लाख पढा जाय।

सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव।

<u>संख्या-**08/2016/34(1)/41-2015 तद् दिनांक**।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कम्पिल, फर्रूखाबाद।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in